गोपनीय
2008 का विधेयक सं. 6

राजस्थान वित्त विधेयक, 2008
(जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए और राजस्थान राज्य में पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

अध्याय 1
प्रारंम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.–** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.–** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23), की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के उपबन्ध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 23 के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

> ''परन्तु यह कि जहां कोई व्यवहारी विहित रीति में ऐसा विकल्प देता है वहां इस धारा के अधीन उसका निर्धारण किया हुआ नहीं समझा जायेगा।''।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 24 की विद्यमान उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

''(5) जहां कोई व्यवहारी धारा 23 के परन्तुक के अधीन विकल्प देता है या जहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश देती है वहां, किसी व्यवहारी का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जा सकेगा और ऐसा कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा; तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।''।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 73 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 73 की विद्यमान उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(1) ऐसे व्यवहारी से, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन या धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प दिया है या जो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विहित दस्तावेजों के साथ ई–विवरणी फाइल करता है या सॉफ्ट प्रति में विवरणी और दस्तावेज प्रस्तुत करता है, भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, यदि उसका पण्यावर्त किसी भी वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक होता है, ऐसे वर्ष के संबंध में अपने लेखे उस वर्ष के अंत में विहित कालावधि के भीतर किसी लेखाकार से लेखापरीक्षित करवायेगा और विहित कालावधि के भीतर–भीतर विहित प्ररुप में, और ऐसे लेखाकार द्वारा, ऐसी विशिष्टियां और प्रमाणपत्र, जो विहित किये जायें, उपवर्णित करते हुए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''लेखाकार'' से चार्टेड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) के अर्थान्तर्गत चार्टेड अकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है।''।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 97क का अन्तःस्थापन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 97 के पश्चात् और विद्यमान धारा 98 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी और सदैव से अन्तःस्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात् :–

''97क. भूतलक्षी छूट के मामले में प्रतिदाय आदि का न होना.– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी अनुसूची में संशोधन का परिणाम भूतलक्षी प्रभाव से कर से छूट के रूप में हो या इस

अधिनियम के अधीन अन्यथा कर से कोई छूट दी गयी हो, वहां ऐसे संशोधन या छूट की तारीख तक किसी व्यवहारी द्वारा प्रभारित या एकत्र की गयी रकम –

(i) राज्य सरकार को निक्षिप्त की जायेगी; और

(ii) यदि पूर्व में निक्षिप्त कर दी गयी हो तो, प्रतिदत्त नहीं की जायेगी,

और ऐसी रकम के मामले में प्राप्त कोई आगत कर मुजरा प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।''।

अध्याय 3
राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.– राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के विद्यमान खण्ड (4) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (5) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(4क) ''डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा'' से उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए टेलीविजन संकेतों को, केबल सेवा जैसे किसी बिचौलिये के माध्यम से गुजारे बिना, सीधे ही ग्राहकों के परिसर में भेजकर बहुचैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना अभिप्रेत है।''।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 में धारा 4ककक का अन्तःस्थापन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4कक के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

''**4ककक. डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.–** डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, प्रतिग्राहक मासिक अभिदान प्रभार के बीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, मनोरंजन कर संदत्त करने का दायी होगा और ग्राहकों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।''।

अध्याय 4
राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

9. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.– राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-घ की उप-धारा (1) के नीचे दी गयी सारणी में, स्तम्भ सं. 2 में क्रम सं. 2 के सामने

आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''7 वर्ष'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''5 वर्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां संविदा यान पर धारा 4ख के अधीन कर, प्रथम बार किसी भी मास के प्रारंभ के पश्चात् संदेय होता है, वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मास की शेष कालावधि के लिए होगा।''।

अध्याय 5
राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में संशोधन

11. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 40 की धारा 3 का संशोधन.– राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 की उप–धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''पैंतीस करोड़ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दो सौ करोड़ रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6
राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में संशोधन

12. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 37 का संशोधन.– राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 की विद्यमान उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(2) यह 31 मार्च, 2006 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।''।

13. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 38 के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''यथापरिभाषित'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''या राजस्थान'' के पूर्व आया शब्द ''नगरीय'' हटाया जायेगा।

अध्याय 7
पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर

14. प्रसार.– इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

15. **परिभाषाएं.–** इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''उपकर'' से इस अध्याय के अधीन उद्‌गृहीत पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रेषित'' में परिरूद्ध उपयोग के लिए हटाया जाना सम्मिलित है; और

(ग) ''खनिज अधिकार'' से खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) में यथा परिभाषित खनिजों के संबंध में खनन संक्रियाओं के लिए मंजूर या नवीकृत खनन पट्‌टे के अधीन पट्‌टेदार को पदत्त अधिकार अभिप्रेत हैं।

16. **खनिज अधिकारों पर उपकर का उद्‌ग्रहण और संग्रहण.–** संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित किन्हीं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ऐसे खनिजों के संबंध में, और प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन पर पांच सौ रुपये से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, विहित रीति से खनिज संबंधी अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

17. **उपकर के आगमों का उपयोजन.–** इस अध्याय के अधीन उद्‌गृहित उपकर के आगम पहले राज्य की समेकित निधि में जमा किये जायेंगे और यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा किये गये विनियोजन से इस निमित्त ऐसा उपबंध करे, पर्यावरण और स्वास्थ्य के संरक्षण और परिस्थितिक संतुलन के अनुरक्षण के लिए, विशेषतः राज्य के खनन क्षेत्रों में, उपयोजित किये जायेंगे।

18. **छूट.–** इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, खनिजों के ऐसे वर्ग के संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से उपकर से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

19. **नियम बनाने की शक्ति.–** (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.–

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्‌:–

(क) इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत उपकर का निर्धारण और संग्रहण;
(ख) वह रीति, जिससे उपकर के आगमों से संबंधित लेखे रखे जायेंगे; और
(ग) वह रीति, जिससे उपकर के आगम धारा 17 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोजित किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम, ऐसे नियमों के उल्लंधन के लिए निम्नलिखित सीमा तक शास्ति का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(i) उपकर के अपवंचन या परिवर्जन के मामलों में अपवंचित या यथास्थिति, परिवर्जित उपकर की रकम के दुगने तक; और
(ii) अन्य मामलों में, दस हजार रुपये तक।

(4) इस अध्याय के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, स्थास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार व्यवहारियों द्वारा फाइल की गयीं विवरणियों पर आधारित स्वनिर्धारण की स्कीम है। विवरणी की कालावधि के लिए निर्धारण के स्थान पर व्यवहारियों को वार्षिक निर्धारण का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, धारा 23 में एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ समुचित मामलों में व्यवहारियों के वार्षिक निर्धारण के लिए निदेश देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है और वार्षिक निर्धारण की सीमा की कालावधि को छह मास तक बढ़ाने के लिए आयुक्त को प्राधिकृत किया जा रहा है, इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 24 में एक नयी उप–धारा (5) जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

मूल्य परिवर्धित कर की प्रणाली व्यवहारियों में विश्वास बनाये रखती है और उनकी विवरणियों के आधार पर स्व–निर्धारण का उपबंध करती है। तथापि, व्यवहारियों के कतिपय प्रवर्गों की संपरीक्षा चार्टेड अकाउंटेन्ट द्वारा की जानी अपेक्षित है और संपरीक्षा की रिपोर्ट धारा 73 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। वर्तमान में ऐसे व्यवहारी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) या धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प दिया है, संपरीक्षा की परिधि से अपवर्जित किये गये हैं। व्यवहारियों के इन वर्गों को छोड़कर ऐसे सभी अन्य व्यवहारी, जिनका पण्यावर्त एक वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक है, के लिए विनिर्दिष्ट समय में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे व्यवहारी, जो विहित दस्तावेजों के साथ ई–विवरणियां फाइल करते हैं या विभाग को सॉफ्ट प्रति में विवरणियां और दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, को ऐसी संपरीक्षा की परिधि से अपवर्जित करना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धारा 73 की उप–धारा (1) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम में विद्यमान उपबंधों के अधीन संबंधित अनुसूचियों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करके और अधिसूचना जारी करके कर की दरों में छूट देने या कमी करने का उपबंध है। लोकहित में कभी–कभी कर की दरों में भूतलक्षी प्रभाव से छूट या कमी की जाती है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विनिर्दिष्ट उपबंध की अनुपस्थिति में व्यवहारियों को अनुचित लाभ प्रोद्भूत न हो, अधिनियम के एक नयी धारा 97क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित धारा यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवहारी द्वारा भूतलक्षी कालावधि के दौरान प्रभारित या संगृहीत कर राज्य सरकार के प्रति निक्षिप्त किया जायेगा, पहले से निक्षिप्त कर प्रतिदत्त नहीं किया जायेगा और प्राप्त किये गये आगत कर मुजरा का दावा यदि कोई हो प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

2. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957

डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) प्रसारण प्रणाली से, केबल सेवा को किसी भी प्रकार से शामिल किये बिना एक और/या एकाधिक उपभोक्ताओं को सीधे टीवी सिग्नल उपलब्ध

कराकर उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके बहुचैनल टीवी कार्यक्रमों के वितरण से एक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में केबल सेवाएं उपलब्ध कराने वाले केबल टीवी नेटवर्क स्वत्वधारियों पर राज्य में मनोरंजन कर उद्ग्रहणीय है। बेहतर प्रौद्योगिकी की दृष्टि से डीटीएच राज्य में तेजी से विकसित होता हुआ बाजार है। अतः डीटीएच सेवा प्रदाताओं से मनोरंजन कर प्रभारित करना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियम में धारा 3 में खण्ड (4क) और एक नयी धारा 4ककक अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

3. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

मोटर यानों की तीव्र वृद्धि से मोटर यानों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है। अतः सही हालत में होने का प्रमाणपत्र नवीकरण किये जाने के समय 7 वर्ष की वर्तमान कालावधि के बजाय 5 वर्ष की कालावधि पूरी करने वाले परिवहन यानों पर ग्रीन कर उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है।

संविदा गाड़ी परमिट के अधीन आने वाले ऐसे मोटर यानों से जो मासिक आधार पर सड़क कर का संदाय कर रहे हैं, उस पूरे मास का कर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें उनके द्वारा अनुज्ञा अभिप्राप्त की गयी है। ऐसे मोटर यान स्वामियों से उस मास की शेष कालावधि के लिए अनुपातिक आधार पर, जिसमें उनके द्वारा परमिट प्राप्त किया गया है, विशेष सड़क कर प्रभारित करने का उपबंध किया गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 5 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

4. राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में राज्यपाल महोदय को, उन अपूर्वदृष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए पैंतीस करोड़ रुपये की राशि सौंपने का प्रावधान है जिनकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्व में वर्ष 1988 में किये गये संशोधन के पश्चात् बजट के आकार में दस गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह अपूर्वदृष्ट आकस्मिक मांग में बढ़ोतरी भी संभावित है। अतः राजस्थान आकस्मिकता निधि में अग्रदाय की रकम को पैंतीस करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो सौ करोड़ रुपये की जानी प्रस्तावित है।

5. राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 के अध्याय 7 द्वारा भूमि कर अधिरोपित किया गया था। इस अध्याय का प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अध्यधीन था। अब इस अध्याय को 31 मार्च, 2006 से प्रारम्भ किया जाना ईप्सित है। भूमि की परिभाषा को स्पष्ट करने की दृष्टि से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 38 के खण्ड (ग) से शब्द 'नगरीय' हटाया जाना प्रस्तावित है।

6. पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर

हमारे संविधान में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि राज्य को न केवल उचित और समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करके बल्कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करके भी लोक कल्याण के संवर्धन का प्रयास करना चाहिये। अनुच्छेद 48क राज्य पर पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्त्तव्य अधिरोपित करता है।

पर्यावरण हमारे पास हमारी भावी पीढ़ियों का ऋण है। संसार का प्रत्येक मानव इसे संरक्षित करने के कर्त्तव्याधीन है और उसे कम से कम उस अवस्था में भावी पीढ़ियों को सौंपने के कर्त्तव्य से आबद्ध है जिसमें यह हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और अनेक प्रयासों के बावजूद, खनन संक्रियाओं से पर्यावरण को क्षति अपरिहार्य है। अतः खनन संक्रियाओं से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उसके सरंक्षण के लिये योगदान करना चाहिए।

पर्यावरण ह्रास के अलावा, खनन क्रियाकलापों से लोक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। खनिज मानव को प्रकृति का उपहार हैं इसलिए उनके उपयोग से मानव कल्याण का अभिवर्धन होना चाहिए। इसका परिणाम कुछ लोगों के हाथों में धन का संचय नही होना चाहिए। ऐसे लोग जो खनिजों से प्रचुर फायदा उठाते हैं। उन्हें अधिक नहीं तो कम–से–कम थोड़ी सी रकम का अंशदान उन लोगों के लिए करना चाहिए जो खनिज–अर्जन के क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं।

पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति राज्य के कर्त्तव्य और उन लोगों के तदनुरूप सामाजिक और नैतिक कर्त्तव्य जो इन प्राकृतिक संसाधनों से लाभान्वित होते हैं, को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्‌गृहीत किया जाये और इस उपकर के आगमों को विशेष रूप से राज्य के उन क्षेत्रों में जहां खनिजों का खनन किया जा रहा है, पर्यावरण और स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्द्धन तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए समर्पित किया जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

विधानसभा अतिआवश्यक
अतिगोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकःप.12(15)वित्त/कर/2008 जयपुर, दिनांक : 25.02.2008

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 के संबंध में राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

महोदय,

राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

भवदीया,

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के खण्ड 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें राज्य की संचित निधि से राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि में एक सौ पैंसठ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के दिये जाने का उपबंध है।

यह अनावर्ती प्रकार का व्यय है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिससे व्यवहारी द्वारा विकल्प दिया जायेगा।

विधेयक का खण्ड 5, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह कालावधि, जिसके भीतर व्यवहारियों के लेखे लेखापरीक्षित किये जायेंगे, वह कालावधि, जिसके भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और ऐसी विशिष्टियां और प्रमाणपत्र, जो ऐसे लेखाओं को सत्यापित करते समय लेखाकार द्वारा उपवर्णित किये जायेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 19, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को सामान्यतया इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित विधान सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
(2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX**

23. स्वनिर्धारण.– प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर ऐसी कालावधि के लिए, जिससे वह संबंधित है, फाइल की गयी विवरणी के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा और इस प्रकार निर्धारित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलैक्ट्रानिक या प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा।

24. निर्धारण.– (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसकी शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होगी जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि किसी भूल का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसी विवरणी फाइल किये जाने की अन्तिम तारीख से एक वर्ष के भीतर–भीतर, व्यवहारी पर विहित प्ररुप में एक नोटिस ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, भूल का सुधार करने और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए, तामील करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, उप–धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में.–

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है वहां उसे ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नही है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेवबृद्धि से निर्धारण करेगा।

(3) जहां व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर विवरणी फाइल नहीं करता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विवरणी फाइल किये जाने के लिए विहित अंतिम तारीख से दो वर्ष के भीतर–भीतर, व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) उप–धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई निर्धारण आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय के किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए पारित किया जाता है वहां वह

निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के दो वर्ष के भीतर पूरा किया जायेगा; तथापि, आयुक्त ऐसी समय सीमा को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी मामले विशेष में छह मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

XX **XX** **XX**

73. लेखाओं की लेखापरीक्षा.– (1) कर देने का दायी प्रत्येक व्यवहारी, यदि उसका पण्यावर्त किसी भी वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक होता है तो, ऐसे वर्ष के संबंध में अपने लेखे उस वर्ष के अन्त से विहित कालावधि के भीतर किसी लेखाकार से लेखापरीक्षित करवायेगा और विहित कालावधि के भीतर–भीतर विहित प्ररुप में, और ऐसे लेखाकार द्वारा, ऐसी विशिष्टियां और प्रमाणपत्र उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जायें, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''लेखाकार'' से चार्टेड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम सं. 38) के अर्थान्तर्गत चार्टेड अकाउंटेन्ट अभिप्रेत है।

(2) XX XX XX

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX** **XX**

4–घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.– (1)अधिनियम की धारा 4, 4–ख और 4–ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा–विनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत दरों पर जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अधिक न हों, ''ग्रीन कर'' के नाम से उपकर उद्गृहीत और संग्रहीत किया जायेगा।

सारणी

क्र. सं.	**यान का वर्ग और आयु**	**उपकर की अधिकतम दर (रुपयों में)**
1	2	3
1.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप–धारा (10) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के	

	नवीकरण के समय ऐसे गैर–परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं:– (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	 750.00 1500.00
2.	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अनुसार सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसे परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं।	600.00 प्रति वर्ष

(2) XX XX XX

5. कर का संदाय.– (1) XX XX XX

(2) जहां किसी भी मोटर यान पर संदेय एकबारीय कर या एकमुश्त कर से अन्यथा कर, किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम बार संदेय होता है वहां संदेय कर, यदि वार्षिक कर विहित हो, प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक दर का बारहवां भाग होगा :

परन्तु जहां धारा 4ख के अधीन अनन्य रूप से नगर मार्गो पर चलने वाली उन मंजिली गाड़ियों पर कर, किसी भी मास के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार संदेय हो जाता हैं वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मा की शेष कालावधि के लिए होगा।

XX XX XX

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956
(1956 का अधिनियम सं. 40) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX

3. राज्य आकस्मिकता निधि की स्थापना, उसकी अभिरक्षा और उसमें से रकमों का निकाला जाना.– (1) राज्य के लिये नियत दिन से अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि होगा और जिसमें राज्य की संचित निधि में से पैंतिस करोड रुपया दिया जायेगा।

(2) XX XX XX

XX XX XX

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX

37. प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अध्याय का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

38. परिभाषाए.– इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) और (ख) XX XX XX

(ग) ''भूमि'' में, कृषि या आवासीय प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से धारित या उपयोग में ली गयी भूमि या राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं. 15) में यथापरिभाषित नगरीय भूमि या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई आबादी भूमि सम्मिलित नहीं होगी;

(घ) से (छ) XX XX XX

XX XX XX